संख्या-152/आई/1439445/2026/89-1002/33/2025

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनाँक: 20 अगस्त,2026

विषय- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिपरौली-गोरखपुर में स्वीकृत निर्माण कार्य में पाइल फाउण्डेशन (सिविल कार्य) की धनराशि को सम्मिलित करते हुये पुनरीक्षित लागत की धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आई/714246/2026/यू0पी0डी0टी0ई0/180/2026 दिनांक 03.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिपरौली-गोरखपुर में टाइप-4 के 01 नग एवं टाइप-3 के 01 नग एवं टाइप-2 के 06 नग आवास का निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-56/आई/1265608/2026/006-89-1002/33/2025, दिनांक 13 मार्च, 2026 द्वारा धनराशि रूपये 344.44 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कुल धनराशि रूपये 344.44 लाख की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी कि मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पाइल फाउण्डेशन (सिविल कार्य) मद की वास्तविक धनराशि देय होगी। तत्क्रम में नामित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा उक्त कार्यो हेतु मृदा परीक्षण रिपोर्ट सहित विस्तृत डी0पी0आर0 उपलब्ध कराते हुये कुल धनराशि रूपये 420.01 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिपरौली-गोरखपुर में टाइप-4 के 01 नग एवं टाइप-3 के 01 नग एवं टाइप-2 के 06 नग आवास का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन का मूल्यांकन (Appraisal) एवं औचित्य का परीक्षण करने के उपरान्त समिति द्वारा पुनरीक्षित मूल्यांकित लागत की धनराशि रूपये 413.95 लाख पर संस्तुति प्रदान की गयी।

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिपरौली-गोरखपुर में टाइप-4 के 01 नग एवं टाइप-3 के 01 नग एवं टाइप-2 के 06 नग आवास का निर्माण कार्य में पाइल फाउण्डेशन (सिविल कार्य) की धनराशि को सम्मिलित करते हुये पुनरीक्षित मूल्यांकित लागत की धनराशि रूपये 413.95 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन शासनादेश दिनांक 13.03.2026 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन,उ0प्र0,लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
6- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लखनऊ।
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।